न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–81/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिरिराज सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह, जाति जाट, निवासी मौलिया, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

.... अपीलांट

बनाम

1. बिजेन्द्र पुत्र भोलाराम, जाति जाट, निवासी मौलिया, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

.... वादी रेस्पोडेण्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लक्ष्मणगढ, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

.................प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री प्रभूसिंह चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में एक दावा दुरूस्ती व हुक्मइम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 336 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 341 रकबा 6 बिस्वा, 343 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, जिसके साबिक खसरा नंबर 190 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मौलिया में स्थित है जो विवादित आराजी मुतनाजा है। साबिक खसरा नंबर 190 रकबा 5 बीघा वादी रेस्पो0 के पिता भोला की खातेदारी की आराजी थी तथा अब वादी रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है तथा वादी रेस्पो0 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है मौके पर कोई रास्ता कायम नही है और बंदोबस्त से पूर्व भी उक्त आराजी में होकर कोई रास्ता नही था लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त उक्त साबिक खसरा नंबर 190 के हाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

खसरा नंबर 336, 341, 343 कायम कर दिये और साबिक खसरा नंबर 190 को दो भागों में बांट दिया और बीच में होकर नया रास्ता खसरा नंबर 341 रकबा 6 बिस्वा कायम कर दिया। जबकि बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नही था। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिये था। इस प्रकार बंदोबस्ती इन्द्राज विधि विरूद्ध है। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज एवं रास्ता जो कायम किया है उसे दुरूस्त किया जाकर वादी रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 341 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम मौलिया का वादी को खातेदार घोषित कर दिया। जिस निर्णय दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जाब्ता दीवानी के संदर्भ में कथन है कि मिन अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार नही था व तहत अदालत के निर्णय से मिन अपीलांट के हकूक मिलकित जायल होते हैं। वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में सन 2010 में आराजी मुतनाजा के बाबत रेस्पो0 नंबर 1 व 2 व नायब तहसीलदार गोविन्दगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के खिलाफ दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का दायर किया। जिसमें वादी रेस्पो0 ने मिन अपीलांट को दीदोदानिस्ता पक्षकार नही बनाया जबकि आराजी मुतनाजा में मिन अपीलांट के हकूक आवागमन थे। मिन अपीलांट को उक्त दावे का इल्म होने पर मिन अपीलांट ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 10.10.2011 को पेश की। इस कारण वादी रेस्पो0 ने उक्त वाद दिनांक 12.06.2013 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करा लिया। उक्त दावा खारिज होने के बाद वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर इसी आराजी मुतनाजा के बाबत वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खिलाफ दावा दायर किया व दावे में अंकित किया कि आराजी खसरा नंबर 336 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 341 रकबा 6 बिस्वा, 345 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, जिसके साबिक खसरा नंबर 190 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मौलिया तहसील लक्ष्मणगढ में वाके है। जो कि विवादित आराजी है। प्रतिवादीगण रेस्पो0 की ओर से जबाव पेश नही किया गया व ना ही मुकदमा तहत अदालत में भाग लिया। आराजी खसरा नंबर 341 रकबा 0.1500 बिस्वा वाके ग्राम मौलिया में स्थित है जो आराजी मुतनाजा गैर मु रास्ता की भूमि है। मिन अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 339, 340, 342 वाके ग्राम मौलिया में स्थित है। उक्त आराजीयात के लिये आने जाने के लिये मुद्दती रास्ता आराजी खसरा नंबर 341 गैर मु0 रास्ता सदैव से कायम चला आ रहा है लेकिन वादी रेस्पो0 ने गलत तथ्यों के आधार पर तहत अदालत में दावा कर गलत दावे की आड में रास्ता की भूमि को अपने नाम खातेदारी में करवाना चाहता है। जबकि मिन अपीलांट का उक्त गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 341 मुतनाजा में हित निहित है क्योंकि यह रास्ता चीर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

काल से कायम है और मिन अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात के लिये सरासर जारी रहा है और आज भी मौके पर रास्ता कायम है। इस रास्ते के अलावा मिन अपीलांट के पास अन्य कोई रास्ता अपनी आराजीयात पर आने जाने का नही है। खसरा नंबर 341 कदमी रास्ता बंदोबस्त से पूर्व से ही बना हुआ है। यह रास्ता संवत 2020 से पहले से ही मौके पर चला आ रहा है जिसके आधार पर संवत 2020 के नक्शे में दिखा रखा है। जिससे मिन अपीलांट को हकूक आशायसी प्राप्त होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी ये प्रावधान है कि काश्त की भूमि में आने जाने के लिये पडौसी काश्तकार के खेत में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है इसलिये ये रास्ता कायम रखा जावे व रेस्पो0 रास्ते की जमीन में खातेदारी प्राप्त नही कर सकता।वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में दूसरा दावा आराजी मुतनाजा बाबत किया है जिससे दावा आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी के तहत चलने योग्य नही था। चूंकि विवादित आराजी रास्ता के अलावा मिन अपीलांट के पास अपनी आराजी पर पहुंचने व आने जाने का रास्ता नही है। जिससे मिन अपीलांट को तहत अदालत के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जावे एवं अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 मंसुख फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि साबिक खसरा नंबर 190 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा रेस्पो0 वादी की खातेदारी की आराजी है जिसके बंदोबस्त द्वारा तीन नये नम्बर 336, 341, 343 कायम करते समय 190 नंबर के मध्य में से नया रास्ता कायम कर दिया जो गलत है। नकल जमाबंदी संवत 2013 के मुताबिक साबिक खसरा नंबर 190 रेस्पो0 वादी के पिता भोलाराम की खातेदारी में दर्ज है।जमाबंदी संवत 2028 के मुताबिक हाल खसरा नंबर 336 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 343 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वादी की खातेदारी में दर्ज है। जबकि संवत 2013 की जमाबंदी के मुताबिक 5 बीघा 8 बिस्वा का वादी रेस्पो0 का पिता खातेदार था। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग द्वारा 5 बीघा 2 बिस्वा तो वादी रेस्पो की खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु 6 बिस्वा रकबा कम करते हुये हाल खसरा नंबर 341 कायम कर रास्ता दर्ज कर दिया।साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से यह तथ्य साबित होता है कि साबिक खसरा नंबर 190 के मध्य में होकर 341 रकबा 6 बिस्वा का नया रास्ता कायम किया है। इस प्रकार साबिक खसरा नंबर 190 के तीन टुकडे किये गये हैं एवं वादी रेस्पो0 की खातेदारी में से 6 बिस्वा रकबा कम करके रास्ता बनाया गया है। इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही था। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करना चाहिये था। बिना किसी अधिकार के बंदोबस्त विभाग को एक खातेदार की भूमि में से रकबा कम नही करना चाहिये थां। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना बंदोबस्त विभाग इस प्रकार एक खातेदार की भूमि में से नया रास्ता कायम नही कर सकता।

बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पो0 का आगे कथन है कि मामला सरकार व खातेदार के मध्य है। अपीलांट का इससे कोई लेना देना नही है। मामले में पक्षकार सिर्फ उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जिसके बिना निर्णय नही किया जा सकता। चूंकि मामला सरकार व खातेदार के मध्य होने के कारण तीसरा पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही नही पैदा होता है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नही है। अतः उसका अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

बनता है। अतः प्रार्थना पत्र 96 जाब्ता दीवानी खारिज की जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्नलिखित कानूनी दृष्टांत पेश किये गये।

RRD 1987 page 83, RRD 2008 page 595, ORDER 9 RULE 9 CPC.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

RRT 2015(2) page 1214, RBJ 1998 page 163&290, RBJ 1997 page 167.
RRD 1990 page 233, RRD 2004 page 454, RRD 2008 page 233, RRT 2015(1) page 204.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्योंकि प्रस्तुत कानूनी नजीरों के तथ्य अपील के तथ्यों से संबंधित नही हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं क्योंकि भू–प्रबंध विभाग प्रविष्टियों को दोहराने हेतु बाध्य है। राजस्व मंडल की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्णीत किया है कि यदि अन्य व्यक्ति को ऐसे मामलों में आवश्यक पक्षकार माना गया तो कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अनिश्चित काल के लिये चुनौती दे सकेगा। सरकार ही आवश्यक पक्षकार है।

सार्वजनिक हित में कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है परन्तु उसका हित विधि के अनुकूल होना चाहिये। न्यायालय का मानना है कि राज्य सरकार व खातेदार के मध्य विवाद में अपीलांट आवश्यक पक्षकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी जा.दी. खारिज किया जाता है।

संवत 2013 की जमाबंदी के मुताबिक खसरा नंबर 190 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का वादी रेस्पो0 का पिता खातेदार था। जबकि जमाबंदी संवत 2028 के मुताबिक हाल खसरा नंबर 336 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 343 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वादी रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग द्वारा 5 बीघा 2 बिस्वा तो वादी रेस्पो की खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु 6 बिस्वा रकबा कम करते हुये हाल खसरा नंबर 341 कायम कर रास्ता दर्ज कर दिया। पूर्व सेटलमेंट संवत 2028 मसाबी भू प्रबंध विभाग में खसरा नंबर 190 के मध्य कोई रास्ता विद्यमान नही है। परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त साबिक खसरा नंबर 190 के हाल खसरा नंबर 341 में से होकर रास्ता कायम भी कर दिया और खातेदारी आराजी में से 06 बिस्वा रकबा भी कम कर दिया।

बंदोबस्त विभाग ने उक्त विवादित आराजी में रास्ता गलत दर्ज किया है जबकि उसको केवल प्रविष्टि दोहरानी चाहिये थी। पूर्व प्रविष्टियों में परिवर्तन करके नये रास्ता कायम करने का बंदोबस्त विभाग को अधिकार नही है। अपीलांट का अपील मीमो का मुख्य बिंदु रास्ता से संबंधित अनुतोष है जो इस धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहित की परिधि में नही आता है। बंदोबस्त विभाग को भी नक्शा व रिकार्ड में बिना सक्षम आदेश/निर्णय के परिवर्तन का अधिकार भी नही था।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुये पारित की गई है। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल खारिज के है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 यथावत जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज.)